न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 16/22 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2022/50

उनवान

कुमरपाल पुत्र प्रभू जाति (बढई) गौड निवासी ग्राम रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.......................अपीलांट।

बनाम

1. उमेदी पुत्र पाती जाति बढई
2. गुडडू पुत्र परसादी
3. गम्भीर पुत्र प्रभू
4. तेजपाल पुत्र परसादी
5. ताराचन्द पुत्र पीतम
6. ग्रामो उर्फ प्रागो पुत्र चिरौंजी
7. बरफी पत्नी परसादी
8. भूप सिंह पुत्र पाती
9. भरत सिंह पुत्र पीतम
10. महावीर पुत्र चिरौंजी
11. रेखा पुत्री परसादी

(1 से 11) जाति बढई नि0 ग्राम रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

12. रेवती पुत्री प्रभू पत्नी पप्पू जाति गौड निवासी फतेहपुर तहसील किरावली जिला आगरा यूपी।
13. राकेश पुत्र परसादी जाति बढई निवासी ग्राम रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
14. राजेश पुत्र परसादी
15. राजेश्वरी पुत्री पीतम
16. रामवीर पुत्र चिरौंजी
17. लाखन पुत्र परसादी

(14 से 17) जातिगण बढई निवासी ग्राम रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ, धौलपुर।

18. लौंगश्री पुत्री प्रभू पत्नी मंगल सिंह जाति गौड निवासी ग्राम दुल्हारा तहसील किरावली जिला आगरा यूपी।
19. विष्णु पुत्र पाती
20. सुनीता पत्नी स्व0 पीतम
21. हेमवती पुत्री तुला
22. हरी पुत्र चिरौंजी

(19 से 22) जाति बढ़ई निवासी रजौरा खुर्द तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।

23. सुरेश पुत्र माया पत्नी हरिओम जाति बढई निवासी दुल्हारा तहसील किरावली जिला आगरा यूपी।
24. कमलेश पुत्र राजो पत्नी भूदैव
25. लोकेन्द्र पुत्र राजो

(24 से 25) जाति बढई नि0 भोला का नगला तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

26. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

.... रेस्पोडेण्ट

भू... ...धिकारी
राजस्व ... प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

कैम्प–धौलपुर
★ भरतपुर ★

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दि0 11.05.2022 प्र.सं. 94/20 उनवानी उमेदी बनाम कुमरपाल।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री रामअवतार गौड वकील अपीलांट।
2. श्री किशन सिंह त्यागी वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–24.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ व जिला धौलपुर में वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने में आये दिन फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर पक्षकारान के मध्य झगडा फसाद हो जाता है एवं खसरा नम्बर 509 जो कि रोड के सहारे लगा हुआ है में प्रतिवादी अपीलाण्ट पुख्ता नींव खोदकर बिना विभाजन कराये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अतः उन्हें पाबंद किया जावें कि वह नींव ना खोदें। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के बॅटवारे का दावा था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का जवाब बंद करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05 व 11 के बन्द लिफाफे अदम तामील अधीनस्थ न्यायालय में वापस लौटे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इनकी तामील मानते हुये निर्णय पारित कर दिया। खसरा नम्बर 509 में अपीलाण्ट का पुख्ता निर्माण पशु बाडा एवं मकान बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं ली। साक्ष्य के अभाव में दस्तावेजो पर प्रदर्श भी नहीं डले। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को नहीं पढ सकती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 16 के नाम के सामने मृतक दर्ज कर दिया। परन्तु उनके विधिक वारिसान को ना तो रिकार्ड पर लिया एवं ना ही उन्हें कोई सुनवाई का मौका ही दिया।

भू-प्रब- अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

पशुवाडा एवं आवास निर्माण के लिये किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं सिर्फ एक ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अन्य सभी सहखातेदारो को प्राथमिक डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है। आदेश 08 नियम 1 में जवाब हेतु 30 दिन का समय है। 30 दिन के बाद 90 दिन तक बढाया जा सकता है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.12.2020 को उपस्थित हुये एवं मई 2022 तक कोई जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब बन्द कर दिया। अपीलाण्ट बिना अनुमति के खसरा नम्बर 509 में नींव खोद रहे थे। प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05 व 11 के लिफाफे उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के बाद न्यायालय में लौटे हैं। यदि पक्षकारो ने जवाब देही नहीं की है तो उनका पक्षकार होना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 16 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05 व 11 ने अपीलाधीन आदेश बाबत् कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया है, तो अपीलाण्ट उनके विरूद्ध कैसे आपत्ति कर सकते हैं। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2017(3) पेज 1316, एआईआर 1963 पेज 1633, 1990 पेज 7 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05 व 11 के बंद लिफाफे, अदम तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी तामील पर्याप्त मानते हुये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 01 कुमरपाल को जवाब हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई मौके दिये गये हैं। परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने उक्त दिवस को भी जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका जवाब बन्द करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। यद्यपि अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उन्होंनें जवाब प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलाण्ट को चाहे वह कोस्ट पर ही क्यों ना हो, न्यायहित में एक अवसर और देते। इस प्रकार अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। हम अभिभाषक अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि प्रतिवादी संख्या 16 जो दौराने दावा फौत हो चुकी थी कि दो पुत्रियॉ जीवित हैं। परन्तु उन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया गया, यह भी जॉच का विषय है। अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 509 पर अपना पुख्ता मकान, पशुवाडा आदि बना होना कथन करते हैं। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

पक्ष नहीं रख पाये हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2022 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाधीन डिक्री से पूर्व मृतक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 16 के सम्पूर्ण विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05 व 11 की समुचित तामील कराते हुये उन्हें व अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर
★ भरतपुर ★

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबंध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर